अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४ ला मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- अमपा-१३२३/प्र.क्र.९०/नवि-२६

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक:- १ मार्च, २०२४

वाचा:- १) अमरावती महानगरपालिका प्रशासकीय समिती ठराव क्र.१५४, दि. १२, जानेवारी २०२४.

- २) आयुक्त तथा प्रशासक, अमरावती महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. अमनपा/साप्रवि/ आयुक्त/५१९५/२०२४, दि. १२ जानेवारी, २०२४.
- 3) अमरावती महानगरपालिकेच्या एकत्रित आकृतिबंधास मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय क्र:- अमपा १३२३/प्र.क्र.८९/नवि-२६,दि. १ मार्च, २०२४

प्रस्तावना:-

अमरावती महानगरपालिका ही "ड" वर्ग महानगरपालिका असून, सदर महानगरपालिकेची स्थापना दि.१५ ऑगस्ट १९८३ रोजी झाली आहे. अमरावती महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ १२१ चौ. कि.मी. असून सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अमरावती शहराची लोकसंख्या ६ लाख ४६ हजार इतकी आहे

- 2. अमरावती महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, वाढते औद्योगिक क्षेत्र, लोककल्याणकारी व गतिमान प्रशासन म्हणून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची भुमिका पार पाडताना पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे महत्त्वाचे उपक्रम/संस्था/प्रकल्प राबविण्याकरीता अमरावती महानगरपालिकेला आवश्यक असलेली पदे, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून अमरावती महानगरपालिकेच्या एकूण २०८७ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.
- ३. अमरावती महानगरपालिका प्रशासकीय समिती ठराव क्र.१५४, दि.१२ जानेवारी २०२४ अन्वये सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२४ मंजूर केला आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम-४५७ (३) अनुसार आयुक्त तथा प्रशासक यांनी अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४ मंजूर करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. या सेवाप्रवेश नियमांस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

9. अमरावती महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम-४५७ (३) अनुसार शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या "अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे

वर्गीकरण) नियम, २०२४" या नियमास (परिशिष्ट-१ ते ४ सह) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५४, ४५५,४५६, ४५७ (३)व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

- **२.** सदर नियमांस "अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४" असे संबोधण्यात यावे.
- **३.** सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
- **४.** सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३०१२००३१८८९२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(विद्या हम्पय्या) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह व विधि व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर.
- ५. आयुक्त तथा प्रशासक, अमरावती महानगरपालिका, जि. अमरावती.
- ६. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
- ७. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
- ८. उप सचिव (नवि-२६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. निवडनस्ती (नवि-२६).



अमरावती महानगरपालिका, अमरावती सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०२४

अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०२४ <u>अनुक्रमणिका</u>

| अ.क्र. | | तपशील | पृष्ठ क्रमांक |
|--------|------------|---|---------------|
| (9) | | (२) | (3) |
| ٩. | नियम. | | पृ. ३ ते १० |
| ٦. | वैद्यकीय | ग्रमाणपत्राचा नमुना. | पृ. ११ |
| ₹. | परिशिष | ट- (१)_सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती. | पृ. १२ ते १४ |
| 8. | परिशिष | <u>ट</u> - (२)_संवर्गासाठी विहित केलेली अर्हता. | पृ. १५ ते ६० |
| | अ.क्र. | विभाग | |
| | ٩. | सामान्य प्रशासन विभाग | पृ. १५ ते २१ |
| | ٦. | नगरसचिव विभाग | पृ. २२ |
| | 3. | निवडणूक विभाग | पृ. २२ ते २३ |
| | ٧. | लेखा विभाग | पृ. २३ ते २५ |
| | ዓ . | लेखा परीक्षण विभाग | पृ. २५ ते २७ |
| | ξ. | अभियांत्रिकी विभाग | पृ.२७ ते २८ |
| | 9. | विद्युत विभाग | पृ. २९ ते ३० |
| | ۷. | कार्यशाळा विभाग | पृ.३० ते ३१ |
| | ۶. | नगर रचना विभाग | पृ. ३१ ते ३३ |
| | 90. | पर्यावरण संवर्धन विभाग | पृ. ३४ ते ३५ |
| | 99. | स्वच्छता विभाग | पृ.३५ ते ३७ |
| | ٩२. | माहिती व तंत्रज्ञान विभाग | पृ.३७ ते ३९ |
| | 93. | उद्यान विभाग | पृ. ३९ ते ४० |
| | 98. | विधि विभाग | पृ.४० ते ४१ |
| | 94. | कर विभाग | पृ.४१ ते ४२ |
| | ٩६. | पशुशल्य विभाग | पृ.४२ ते ४३ |
| | 90. | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | पृ.४४ ते ५० |
| | ٩८. | शिक्षण विभाग | पृ.५१ |
| | 98. | क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग | पृ. ५२ |
| | २०. | अग्निशमन विभाग | पृ.५३ ते ६० |
| | | L | |

| अ.क्र. | तपशील | पृष्ठ क्रमांक |
|--------|--|---------------|
| (9) | (२) | (३) |
| ч. | परिशिष्ट- (३)_कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम- २०२२ | पृ. ६१ ते ६३ |
| ξ. | परिशिष्ट- (३) अ_विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग तसेच ब_विभागीय परीक्षा | पृ. ६४ ते ६६ |

अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम.

क्रमांक-अमनपा-१३२३/प्र.क्र.९०/निव-२६:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर करून, अमरावती महानगरपालिकेच्या अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम, तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव व आदेश अधिक्रमीत करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५७ (३) अंतर्गत अनुसार अमरावती महानगरपालिकच्या विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे:-

<u>नियम</u>

१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:-

- (१) या नियमांना "अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४" असे संबोधण्यात येईल.
- (२) हे नियम अंतिमरित्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील.
- (३) हे नियम अमरावती महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील नियुक्त्यांना लागू होतील; मात्र, अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुक्त्यांना लागू होणार नाहीत.

२. व्याख्या:-

विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी-

- (१) "शासन" म्हणजे, महाराष्ट्र शासन.
- (२) "अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम.
- (३) "आयोग" म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.
- (४) "महानगरपालिका" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये निर्माण केलेली "अमरावती महानगरपालिका."
- (५) "महापौर" म्हणजे, अमरावती शहर महानगरपालिकेचे महापौर.
- (६) "आयुक्त" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी.
- (७) "सक्षम प्राधिकारी" म्हणजे, अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त.
- (८) "नियुक्ती प्राधिकारी" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरत्दींप्रमाणे नियुक्ती देण्यास सक्षम असलेले प्राधिकरण.
- (९) "निवड प्राधिकारी" म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली कर्मचारी निवड समिती

- (१०) "अधिकारी/कर्मचारी" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही.
- (११) "संवर्ग" म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेल्या "कायम त्याचप्रमाणे हंगामी" शासनमान्य पदांचा समूह.
- (१२) "कलम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम.
- (१३) "परिशिष्ट" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट.
- (१४) "जोडपत्र" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र.
- (१५) "अनुसूची" म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची.
- (१६) "विभागीय परीक्षा" म्हणजे, अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा.
- (१७) "पदवी" म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली पदवी.
- (१८) "पदिवका" म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदिवका.
- (१९) "व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)" म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Fire Engineering) उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर किंवा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण झालेले अथवा Institute of Fire (U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून M.I. (Fire) किंवा Grade (I) (Fire) उत्तीर्ण झालेले.]
- (२०) "स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)" म्हणजे, ज्या सेवेत अमरावती महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन व भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा.
- (२१) "मुलाखत" म्हणजे, अमरावती महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील नियुक्तीकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि ज्या पदांकरिता त्याने किंवा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या

- उद्देशाने आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे.
- (२२) "समतुल्य/समकक्ष अर्हता" म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.
- (२३) "मान्यताप्राप्त रौक्षणिक संस्था" म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे.
- (२४) "मान्यताप्राप्त विद्यापीठ" म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा आहे.
- (२५) "माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा" म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे.
- (२६) "उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा" म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे.
- (२७) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था" म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र.
- (२८) "समय श्रेणी वेतन" म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते.
- (२९) "लेखी परीक्षा" म्हणजे अमरावती महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे.
- (३०) "व्यावसायिक परीक्षा" म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकीय/निमशासकीय कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे.
- (३१) "निवड समिती अध्यक्ष" म्हणजे, कर्मचारी/ अधिकारी निवड समितीसाठी आयुक्त यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले अधिकारी.
- (३२) "एकीकृत संवर्ग" म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग.
- (३३) "अर्हताप्राप्त कर्मचारी" म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण करणारे कर्मचारी.

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल.

३. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services):-

- (३.९) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर व महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा तसेच शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-१००५/वर्गीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/नवि-२४, दि.०४ मे, २००६ मधील प्रशासकीय सेवेत नमृद असणाऱ्या सर्व सेवा "प्रशासकीय सेवा" संबोधण्यात येतील.
- (३.२) लेखा सेवा व लेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित (अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतील पदांना तसेच शासन निर्णय क्र.संिकर्ण-१००५/वर्गीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/निव -२४, दि.०४ मे, २००६ मधील लेखा व लेखा परीक्षण सेवेत नमुद असणाऱ्या सर्व "लेखा संवर्ग व लेखापरीक्षण संवर्ग" असे संबोधले जाईल व अशा पदांची सेवा "लेखा सेवा व लेखापरीक्षण सेवा" संबोधण्यात येईल.
- (3.3) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी/ पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रिशक्षण मंडळ (Board of Technical Education) वा केंद्रीय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical Education), तंत्र शिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक व अभियांत्रिकीविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल अशा पदांची सेवा तसेच शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-१००५/वर्गीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/निव -२४, दि.०४ मे, २००६ मधील तांत्रिक सेवेत नमुद असणाऱ्या सर्व सेवा "तांत्रिक सेवा" संबोधण्यात येईल.
- (3.8) <u>आरोग्य/वैद्यकीय सेवा</u>:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकीय शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक, तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांची सेवा "वैद्यकीय सेवा" संबोधण्यात येईल.
- (३.५) <u>आरोग्य/निमवैद्यकीय सेवा</u>:- वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, उदा. परिचारीका प्रसविका, परिचारिका (नर्स मिडवाईफ), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता/औषध निर्माण अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला "निमवैद्यकीय सेवा" संबोधण्यात येईल.
- (३.६) स्वच्छता सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी- उदा. मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, उप स्वच्छता निरीक्षक, बिटप्युन आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या सेवेला "स्वच्छता सेवा" संबोधण्यात येईल.
- (३.७) <u>अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:</u>- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला "अग्निशमन सेवा" संबोधण्यात येईल.

४. अमरावती महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:-

- (१) अधिकारी- गट-अ व गट-ब.
- (२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड.

५. <u>नेमणुकीची पद्धत व अर्हता</u>:-

- (५.9) नियुक्तीची पद्धतः- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट-(१) मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल.
- (५.२) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील.
- (५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त गट-ड वर्ग वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा DOEEACC सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल.
- (५.४) <u>वयोमर्यादा</u>:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशन/ सरळसेवेने नियुक्तीसाठी किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. अमरावती महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्त असलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच शासन सेवेतील किंवा शासन अधिनस्त कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल.

(५.५) पदोन्नती व सरळसेवाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:-

- (क) सरळसेवा वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल, अशा पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती व सरळसेवाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील.
- (ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यतः पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास सरळसेवेने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल.

६. पदोन्नतीने नेमणुक करणे:-

पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती, ज्येष्ठता व पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम- ४५ अंतर्गत येणारी पदे तसेच वर्ग-१ ची इतर सर्व पदांवर महानगरपालिका निवड समिती द्वारे पदोन्नतीने नियुक्ती केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेउन त्यास शासनाची मंजुरी घेण्यात येइल.

७. प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक:-

या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार नाही. सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांना शासनाच्या किंवा शासन अधिनस्त कार्यालयात शासन मान्यतेने प्रतिनियुक्ती नियुक्ती देता येईल. तसेच असे पद रिक्त असल्यास सदर पदावर शासनाकडून प्रतिनियुक्तीचे आदेश होईपर्यंत महानगरपालिका आस्थापनेवरील समान पदनामावर कार्यरत अधिकाऱ्यांकडे अतिरीक्त कार्यभार सोपविणे आवश्यक राहील.

८. महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:-

महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील.

९. एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती:-

या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या कर्मचाऱ्याने अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तींवर, खालील बाबींच्या अधीन राहून कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती देता येईल.

- **अ)** पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती करता येणार नाही. फक्त नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय व समान वेतन श्रेणीच्या रिक्त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती करण्यात यावी.
- ब) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील.
- क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून अमरावती महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्चित अटी व शर्तींवर शासन मान्यतेने घेतला जाईल.

ड) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार केला जाईल.

9o. <u>परीविक्षाधीन कालावधी:</u>-

गट-अ आणि गट-ब मध्ये सरळसेवेने नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परीविक्षा कालावधी पुढील १ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल.

99. भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण:-

महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांनी:-

- (9) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल.
- (२) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल.
- (३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुद्धा आवश्यक असेल.

१२. <u>महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता:</u>-

एखाद्या व्यक्तीस:-

- (क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात आले असेल. किंवा
- (ख) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा
 - (ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात आले असेल, किंवा
 - (घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह केला असेल, किंवा
 - (च) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, किंवा

- (छ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, अशी व्यक्ती, किंवा
- (ज) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, अशी व्यक्ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र समजली जाईल.

93. <u>महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:</u>-

महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष/समांतर आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल.

98. <u>शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल</u>:-

महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्ती,

- (अ) महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि
- (ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल.

१५. परिक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:-

नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या संबंधात वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांना असेल.

१६. नियुक्तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना:-

नियुक्तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र उरतील.

प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:-

कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल.

- 9८. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही.
- 99. वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वयोमर्यादा/परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- २०. सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी.
- **२१.** या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील.

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

0000000

वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना

(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.)

| मी याद्वारे प्रमाणित करते | ो/करते की, | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| अमरावती महानगरपालिकेच्या (|) संवर्गातील (|) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी |
| असलेल्या उमेदवारांची तपासणी वे | न्ली आणि त्याला/तिला | |
| अतिरिक्त (सांसर्गिक किंवा अन्य) को | णताही रोग, शारीरिक दौर्ब | ल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे |
| आढळले नाही ही गोष्ट (|) कार्यालयात (|) म्हणून नेमणुकीसाठी अनर्ह |
| उरविणार आहे असे मला वाटत नाही. | | |
| श्री./श्रीमती | | यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून |
| त्याचे/तिचे वय वर्षे आहे ३ | गणि दिसण्यावरून तो/ती र | नुमारे वर्षे वयाचा/वयाची आहे. |
| त्याला/तिला लस टोचण्यात आली आ | हे. | |
| ओळख चिन्हे | | |
| डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा | | |
| वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | | |
| वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी | | |

वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम (शिक्क्यासह)

परिशिष्ट-(१)

<u>अमरावती महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४ अंतर्गत सेवा भरतीसाठी</u> <u>अनुसरावयाची कार्यपद्धती:</u>-

9. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:-

महानगरपालिका पदांवर नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ मध्ये विहित केल्यानुसार -कर्मचारी निवड समिती गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत करण्यात आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता (यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध राहील.

याव्यतिरिक्त, सरळसेवेने नियुक्ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस <u>विशेष निमंत्रित</u> म्हणून बोलावले जाईल.

२. सरळसेवेद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना

खालीलप्रमाणे असेल:-

| | · · | . 0 | $\sim \kappa \sim$ | \ \ | 1 0 | \circ | |
|----|---------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| ٩١ | आयक्त किंवा आय | क्ताना प | टानटारात | कळळा अस्त | काणतादा | आधकारा | अध्यक्ष |
| 1) | जानुबरा विश्वा जानु | 9111111 | 141414141 | averen or a | 9/15/1/10/1 | जानमगरा | -ગબ્લવા |

२) मुख्य लेखा परीक्षक – सदस्य

३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य

४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी -सदस्य

५) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी - सदस्य

६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य

७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य

८) उप आयुक्त (आयुक्तांद्वारे नामनिर्देशित) - सदस्य सचिव व निमंत्रक

३. सरळसेवेद्वारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:-

- (३.९) शासनाने निर्देश दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्चित करून सदर पदे भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
- (३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:-
- (३.२.९) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन /वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करण्यात येईल.
- (3.२.२) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार आयुक्तांना असेल.

- (3.२.३) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल.
- (३.२.४) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्त पदाच्या तिप्पट एवळ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न घेतल्यास, अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल व अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५०% ऐवजी ४५% गुण मिळविण्याची अट राहील.
 - (३.२.५) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:-
 - (अ) सामाजिक प्रश्नाबाबतची जाणीव.
 - (ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अनुभव.
 - (क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता वा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण.
 - (३.२.६) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील.
 - (३.२.७) भरती प्रक्रीयेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळीवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील.
 - (३.२.८) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची -ड॰ प्रकरण ३ (२) अन्वये महानगरपालिका आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांना थेट नियुक्ती देत असतांना अशी नियुक्ती सरळ सेवेने दर्शविलेल्या पदावर फक्त अपवादात्मक परीस्थीतीत शैक्षणीक अर्हता, सेवा जेष्ठता, गुणवत्ता याआधारेच देण्यात येईल तथापी अशी नियुक्ती कोणत्याही परीस्थीतीत पदोन्नतीच्या पदावर देता येणार नाही.

४. पदोत्रतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:-

- (8.9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२,दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.
- (४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात आयुक्तांना सादर करतील.
- (४.३) पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाकरीता एकापेक्षा अधिक संवर्गातील पदे पात्र असल्यास अश्या पदांची सामाईक जेष्टता सुची तयार करण्यात येईल.

- (४.४) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या निश्चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (१:३) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (Zone of Consideration) समावेश करण्यात येईल.
- (४.५) विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल.
 - (४.६) शासन निर्णय क्रंमाक-अमपा-१३२१/प्रक्रं ०३/नवि-२६ दिनांक १ डिसेंबर,२०२१ अन्वये शहरातील नागरीकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम फेज-२ अंतर्गत महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावुन घेण्यात आलेली पदे नागरीकांच्या आरोग्याशी संबधीत असल्याने सदरहु पदे आरोग्य विभागातंर्गतच कार्यरत राहतील व या पदांना पदोन्नती देतेवेळी आरोग्य विभागात वरीष्ठ पद उपलब्धतेनुसार सेवाजेष्ठता व अर्हतेनुसार पदोन्न्तीस पात्र राहतील.
 - (४.७) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल.
 - (४.८) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा असेल.
 - (४.९) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल.
- (४.१०) एखाद्या पदावर यापुर्वी नामनिर्देशनाद्वारे किंवा अनुसूची -ड॰ प्रकरण ३ (२) अन्वये महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची अधिनियमास सुसंगत प्रक्रियेने थेट नियुक्ती झाली असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यास वरीष्ठ पदावर पदोन्नती देत असताना ज्या पदावर नामनिर्देशन / नियुक्ती झाली असेल त्या पदावर किमान १० वर्षाचा सेवाकाळ पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.
- **५.** वरील (३) व (४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ (१), ५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल.
- ६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल.
- **७.** समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती सचिवाची असेल.
- **८.** गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.न्याप्र-१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात आणण्यात यावेत.

- ९. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने व शासन मान्यतेने अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील.
- १०. पदोन्नतीसाठी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल :-

| 9 | आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी | अध्यक्ष |
|---|--|-----------------------|
| 2 | मुख्य लेखापरीक्षक | सदस्य |
| 3 | संबंधित विभाग प्रमुख | सदस्य |
| 8 | आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी | सदस्य |
| ч | उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) | सदस्य सचिव व निमंत्रक |

(विद्या हम्पय्या) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट-(२)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६, कलम-३९ (अ), कलम-४५ व कलम- ५३ (१) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या पदांसाठीची कलम-४५ (३) व कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता (पहा नियम-३)

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|-----------------|------------------|--|
| | | | व टक्केवारी | गर्भगुपरापरारता जलता च गर्भगुपराञ्चा मञ्चला |
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (3) | सरळसेवा/ | ((a) |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (4) |
| | | | (8) | |
| | | | १. सामान्य | प्रशासन विभाग |
| ٩. | प्रशासकीय | आयुक्त | शासनाकडून | राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा अधिकारी. |
| | सेवा गट-अ | | प्रतिनियुक्ती | (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६ नुसार.) |
| | | | 900% | |
| ٦. | प्रशासकीय | अतिरिक्त आयुक्त | प्रतिनियुक्ती- | राज्य शासनाकडील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने (महाराष्ट्र |
| | सेवा गट-अ | | ५०% | महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३९ (अ) नुसार) |
| | | | | महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एमसीओ- |
| | | | | १२११/प्र.क्र.१०५/नवि-१४/दि.११/११/२०११ नुसार) |
| | | | निवडीने नियुक्ती | • राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३९ (अ) |
| | | | _ ५ ०% | अन्वये अमरावती महानगरपालिका आस्थापनेवरील योग्य अधिकाऱ्याची |
| | | | | निवडीने नियुक्ती. |
| | | | | • महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एमसीओ- |
| | | | | २०१४/प्र.क्र.२१८/नवि-१४. दि.०६/०१/२०१५ व शासन निर्णय क्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|----------------|---|--|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | मिभाम-१६२१/प्र.क्र.५९/नवि-२८ दि.३०/०६/२०२१ नुसार) |
| ₹. | प्रशासकीय सेवा गट-अ | उपआयुक्त | प्रतिनियुक्ती- ५०% पदोन्नती-५०% | राज्य शासनाकडील मुख्याधिकारी (गट-अ) किंवा राज्य शासन सेवेतील समकक्ष पदावरील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने. अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक आयुक्त किंवा दि.०४ मे, २००६ शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय सेवेतील समकक्ष (गट-ब) पदावरील किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती. |
| 8. | प्रशासकीय सेवा गट-ब | सहाय्यक आयुक्त | प्रतिनियुक्ती- ५०% पदोन्नती-५०% | राज्य शासनाकडील मुख्याधिकारी (गट-ब) किंवा राज्य शासन सेवेतील समकक्ष पदावरील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने. अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती. |
| ч. | प्रशासकीय सेवा गट-क | अधिक्षक | सरळसेवा ५०% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण . ब) महाराष्ट्र राज्य व उच्च तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे कडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष असलेली एक शासनमान्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|------------|------------------------|-----------------|---|--|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | पदोन्नती- ५०% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अधिक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ξ . | प्रशासकीय सेवा गट-क | सहाय्यक अधिक्षक | पदोन्नती-१००% | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील निरीक्षक, विषठ लिपीक, किनष्ट आरोग्य अधिक्षक, सांख्यिकी सहाय्यक,अभिलेखापाल या पदावर ०३ वर्ष नियमित सेवा पूर्ण . निरीक्षक, विषठ लिपीक, किनष्ट आरोग्य अधिक्षक, सांख्यिकी सहाय्यक,अभिलेखापाल यांची आकृतीबंधात स्वतंत्र पदे मंजूर असल्याने यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करताना एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी तयार करावी. |
| 9. | प्रशासकीय सेवा गट-क | अभिलेखापाल | सरळसेवा- १००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|-----------------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| ۷. | प्रशासकीय | वरिष्ठ लिपीक/निरीक्षक | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक या |
| | सेवा गट-क | | | पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ۶. | प्रशासकीय | कनिष्ठ लिपीक / | सरळसेवा-६५% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. |
| | सेवा गट-क | टंकलेखक | | ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे |
| | | | | किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र |
| | | | | किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. |
| | | | | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | पदोन्नती-२५% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील चतुर्थ संवर्गातील |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या उच्च माध्यमिक शालांत |
| | | | अर्हता धारक | परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यामधुन सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | नसल्यास | (हे सेवाप्रवेश नियम आगू झाल्याच्या दिनांकास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |
| | | | सरळसेवा) | म्हणून अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना |
| | | | | सदरची अट लागू राहील. मात्र त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|--|--|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | कर्मचाऱ्यांना मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी अशी अट लागू राहील.) |
| | | | पदोन्नती-१०% (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास सरळसेवा) | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वाहन चालक या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| 90. | प्रशासकीय सेवा गट-ब | लघुलेखक (निवडश्रेणी) | पदोन्नती-१००% | महानगरपालिका आस्थापनेवरील लघुलेखक (उच्चश्रेणी) या पदाचा किमान ०३ वर्ष नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| 99. | प्रशासकीय सेवा गट-ब | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (मराठी / इंग्रजी) | पदोन्नती-१००% | महानगरपालिका आस्थापनेवरील लघुलेखक (निम्मश्रेणी) या पदाचा किमान ०३ वर्ष नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| 97. | प्रशासकीय सेवा गट-क | लघुलेखक (निम्मश्रेणी) (मराठी / इंग्रजी) | पदोन्नती-१००% (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक | महानगरपालिका आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक या पदाचा किमान ०३ वर्ष नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी ब) मराठी व इंग्रजी लघुलेखनाची गती ८० श.प्र.मि. व टंकलेखनाची गती ३० |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | रा.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० रा.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकीय परीक्षा |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|-------------------|---|---|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | नसल्यास | मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.) |
| | | | सरळसेवा) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली परिक्षा उत्तीर्ण |
| | | | | झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 93 | प्रशासकीय | लघुटंकलेखक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी |
| | सेवा गट-क | | | ब) मराठी व इंग्रजी लघुलेखनाची गती ८० श.प्र.मि. व टंकलेखनाची गती ३० |
| | | | | श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकीय परीक्षा |
| | | | | मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.) |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली परिक्षा उत्तीर्ण |
| | | | | झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 98 | प्रशासकीय | महिला व बाल विकास | सरळसेवा- | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी व एम.एस.डब्ल्यु (समुदाय विकास विषय |
| | सेवा गट-ब | अधिकारी | 900% | घेवून) |
| | | | | ब) शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील तत्सम पदावरील अनुभव |
| | | | | असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य. |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|--------------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| 94 | प्रशासकीय | समाज विकास अधिकारी | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी व एम.एस.डब्ल्यु पदव्युत्तर पदवी |
| | सेवा गट-ब | | | ब) शासकीय / निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील समाज |
| | | | | कल्याण अधिकारी किंवा तत्सम पदावरील अनुभव असल्यास प्राधान्य |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 9६ | प्रशासकीय | सांख्यिकी अधिकारी | सरळसेवा- | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/सांख्यिकी/बायोमेट्री/ अर्थशास्त्र |
| | सेवा गट-ब | | 900% | /ईकॉनॉमेट्रीक्स/गणिती अर्थशास्त्र/वाणिज्य या पैकी एक विषय घेवुन |
| | | | | द्वीतीय श्रेणी किंवा ४५ % गुणासह पदवी. |
| | | | | ब) वरील विषयातील पदव्युत्तर पदवीस प्राधान्य. किंवा |
| | | | | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेतील किमान द्वीतीय श्रेणी |
| | | | | किंवा किंवा ४५ % गुणासह पदवी आणी भारतीय सांख्यिकीय संस्था |
| | | | | (I.S.I) किंवा भारतीय कृषी संशोधन परीषद (I.C.A.R.) किंवा शासन मान्य |
| | | | | संस्था ज्यामधील प्रवेशासाठी किमान अर्हता पदवी आहे अशी |
| | | | | संख्याशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवीका. |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|-------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| 90 | प्रशासकीय | माहिती व जनसंपर्क | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवीसह पत्रकारीता व |
| | सेवा गट-क | अधिकारी | | जनसंज्ञापन (Journalisam & Mass Communication) मधील पदव्युत्तर |
| | | | | पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका. |
| | | | | किंवा |
| | | | | ब) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पत्रकारीता व जनसंज्ञापन (Journalisam & |
| | | | | Mass Communication) मधील पदवी . |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 9८ | प्रशासकीय | वाहन चालक | सरळसेवा-१००% | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक |
| | सेवा गट-क | | | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) जड व हलके वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. |
| | | | | क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ०३ वर्षांचा अनुभव |
| | | | | आवश्यक व प्रत्यक्ष वाहन चालविण्याची चाचणी परीक्षा |
| | | | | ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| 98 | प्रशासकीय | शिपाई | सरळसेवा- | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक |
| | सेवा गट-ड | | 900% | शालांत प्रमाणपत्र (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-----------|--------|---|---|
| (9) | (3) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| २० | प्रशासकीय | मदतनिस | सरळसेवा-१००% | अ)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक |
| | सेवा गट-ड | | | शालांत प्रमाणपत्र (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |

२. नगर सचिव विभाग

| २१ | प्रशासकीय सेवा गट-अ | महानगरपालिका सचिव | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील दि.४ मे. २००६ शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय सेवेतील गट(ब) पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणा-या अधिका-याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने |
|----|------------------------|-------------------|---|--|
| | | | सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता | नियुक्ती करता येईल. अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. ब) विधी शाखेच्या पदवीधरास प्राधान्य. |
| | | | अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | | |
|--------|------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | | | |
| | ३. निवडणूक विभाग | | | | | | | |
| २२ | प्रशासकीय सेवा गट-ब | सहाय्यक निवडणूक अधिकारी | पदोन्नती-१००% सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती. 3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 3) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 5) शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील ०३ वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवाराना प्राधान्य. | | | | |
| | ੪. लेखा विभाग | | | | | | | |
| २३ | लेखा सेवा, गट-अ | मुख्यलेखाधिकारी | प्रतिनियुक्ती- १००% | शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट-अ विरष्ठ अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------------------|------------|--|---|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| 28 | लेखा सेवा, गट-ब | लेखाधिकारी | पदोन्नती-१००% | अ) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखापाल या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासन मान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| २५ | लेखा सेवा, गट-क | लेखापाल | पदोन्नती-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. क) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उपलेखापाल, रोखपाल व वरिष्ठ लेखा परीक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------|-----------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| २६ | लेखा सेवा, | उपलेखापाल | पदोन्नती-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. |
| | गट-क | | | ब) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरीष्ठ लिपिक/निरीक्षक, |
| | | | | अभिलेखापाल, कनिष्ठ लेखापरिक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षांची |
| | | | | नियमित सेवा सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्टता व गुणवत्तेच्या |
| | | | | आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | | क) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स |
| | | | | मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & |
| | | | | A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 20 | लेखा सेवा, | रोखपाल | पदोन्नती-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. |
| | गट-क | | | ब) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपीक/ |
| | | | | निरिक्षक, कनिष्ठ लेखापरिक्षक,अभिलेखापाल या पदावर किमान ०३ वर्षांची |
| | | | | नियमित सेवा सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------|--------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| | | | ५. लेखा प | गरिक्षण विभाग |
| | | | | |
| २८ | लेखा सेवा, | मुख्यलेखापरीक्षक | प्रतिनियुक्ती- | शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील गट-अ (उपसंचालक) |
| | गट-अ | | 900% | प्रतिनियुक्तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती. |
| २९ | लेखा सेवा, | उपमुख्यलेखापरीक्षक | पदोन्नती-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. |
| | गट-ब | | | ब) महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखापाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक |
| | | | | पदावरील किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्टता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | | क) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स |
| | | | | मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & |
| | | | | A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स |
| | | | अर्हता धारक | मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------|---------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 30 | लेखा सेवा, | वरिष्ठ लेखा परीक्षक | पदोन्नती-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हता. |
| | गट-क | | | ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स |
| | | | | मॅजेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & |
| | | | | A. किंवा L.G.S. पदविका असणे आवश्यक. |
| | | | | क) कनिष्ठ लेखापरिक्षक, या पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा. |
| 39 | लेखा सेवा, | कनिष्ठ लेखापरिक्षक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी |
| | गट-क | | | ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स |
| | | | | मॅनेजमेंटमधील पदविका (डी.एफ.एम.) पदविका असणे आवश्यक. |
| | | | | क) शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील लेखापरिक्षण कामाचा अनुभव |
| | | | | असलेल्या उमेदवाराना प्राधान्य. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | | |
|--------|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | | | |
| | ६. बांधकाम विभाग | | | | | | | |
| 32 | अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ | शहर अभियंता | पदोन्नती १००% प्रतिनियुक्ती (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. पदोन्नतीकरीता अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत राज्य शासनाच्या कार्यकारी अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती. | | | | |
| 33 | अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) | पदोन्नती-१००% प्रतिनियुक्ती (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष स्थापत्य अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (3) | सरळसेवा/ | ((a) |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (4) |
| | | | (8) | |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | येईल. |
| | | | नसल्यास) | |
| 38 | अभियांत्रिकी | उप अभियंता (स्थापत्य) | पदोन्नती-१००% | • अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता / |
| | सेवा, गट-अ | | | शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण |
| | | | | झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने |
| | | | | नियुक्ती करता येईल. |
| 34 | अभियांत्रिकी | सहाय्यक अभियंता / | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) |
| | सेवा, गट-ब | शाखा अभियंता (स्थापत्य) | | या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा |
| | | | अर्हता धारक | अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | नसल्यास) | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | TRICGIRI | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | | ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. |
| 3६ | अभियांत्रिकी | कनिष्ठ अभियंता | सरळसेवा-१००% | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. |
| | सेवा, गट-क | (स्थापत्य) | | ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा |
| | | | | अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------------|----------------------|---|---|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | | ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. |
| | | | | युत विभाग |
| 30 | अभियांत्रिकी | उप अभियंता (विद्युत) | पदोन्नती-१००% | • अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता / |
| | सेवा, गट-अ | | | शाखा अभियंता (विद्युत) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण |
| | | | | झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने |
| | 0 :0 0 | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | नियुक्ती करता येईल. |
| 3८ | अभियांत्रिकी | सहाय्यक अभियंता | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या |
| | सेवा, गट-ब | (विद्युत) | | पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची विद्युत (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | पदवी. |
| | | | अर्हता धारक | ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------------------|--------------------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| | | | | ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. |
| 38 | अभियांत्रिकी सेवा, गट-क | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | सरळसेवा-१००% | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची विद्युत (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. |
| 80 | अभियांत्रिकी सेवा, गट-क | विजतंत्री | सरळसेवा- १००% | अ) महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळाची शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) उत्तीर्ण. ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे विजतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | | |
|--------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | (पदोन्नती/ | | | | | |
| (9) | (२) | (3) | सरळसेवा/ | (1.5) | | | | |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (4) | | | | |
| | | | (8) | | | | | |
| | ८. कार्यशाळा विभाग | | | | | | | |
| ४१ | अभियांत्रिकी | उप अभियंता | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अभियंता / | | | | |
| | सेवा, गट-अ | (यांत्रिकी/परिवहन) | | शाखा अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण | | | | |
| | | | | झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने | | | | |
| | | | | नियुक्ती करता येईल. | | | | |
| ४२ | अभियांत्रिकी | सहाय्यक अभियंता | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) | | | | |
| | सेवा, गट-ब | (यांत्रिकी/ परिवहन) | | या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची | | | | |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. | | | | |
| | | | सरळसेवा | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची यांत्रिकी (Mechanical) अभियांत्रिकी शाखेची | | | | |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | पदवी. | | | | |
| | | | अर्हता धारक | ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा | | | | |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | अनुभव असल्यास प्राधान्य. | | | | |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत | | | | |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा | | | | |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र | | | | |
| | | | | ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. | | | | |
| 83 | अभियांत्रिकी | कनिष्ठ अभियंता | सरळसेवा-१००% | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची यांत्रिकी (Mechanical) अभियांत्रिकी शाखेची | | | | |
| 04 | सेवा, गट-क | (यांत्रिकी/परिवहन) | 1100/0 | पदवी. | | | | |
| | 131, 10 97 | (1 200 100 100 1) | | पद्या. | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | | |
| | | | | ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ड) मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक. | | | |
| | ०९. नगररचना विभाग | | | | | | |
| 88 | शहर विकास सेवा, गट-अ | सहाय्यक संचालक नगर रचना | प्रतिनियुक्ती- १००% | संचालक, नगर रचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने. | | | |
| ४५ | शहर विकास सेवा, गट-ब | नगर रचनाकार | प्रतिनियुक्ती (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | संचालक, नगर रचना व मुल्य निर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने. | | | |
| | | | पदोन्नती- १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक नगर रचनाकार या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------------|-----------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| ४६ | शहर विकास | अतिक्रमण निर्मुलन पथक | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अतिक्रमण निर्मुलन |
| | सेवा, गट-ब | प्रमुख | | पथक प्रमुख, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षांची |
| | | | | नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे |
| | | | | पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) शासकीय /निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था ०३ वर्षाचा तत्सम |
| | | | अर्हता धारक | कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | नसल्यास) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 80 | शहर विकास | सहाय्यक नगर | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची आर्किटेक शाखेची (B. Arch) किंवा स्थापत्य |
| 80 | सेवा, गट-क | रचनाकार | (10070 | (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. |
| | VI 11 9 10 11 | V T II II V | | ब) राज्य शासन / केंद्र शासनाकडील नगर रचना विषयाची मान्यता प्राप्त |
| | | | | अभ्यासक्रमास प्राधान्य. |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 82 | शहर विकास | मालमत्ता व्यवस्थापन | पदोन्नती-१००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता |
| | सेवा, गट- ब | अधिकारी | | (स्थापत्य) या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-------------------------|---|--|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा पदोन्नती करीता उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास | अ) शासनमान्य विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. ब) शासकीय / निमशासकीय इतर मान्यता प्राप्त संस्थेमधील कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| 88 | शहर विकास सेवा, गट-क | सहाय्यक अतिक्रमण निर्मुलन पथक प्रमुख | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. ब) शासकीय /िनमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था ०३ वर्षाचा तत्सम कामाचा अनुभव. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| Чо | शहर विकास सेवा, गट-क | सहाय्यक आरेखक | पदोन्नती १००% | अ) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अनुरेखक या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | |
|--------|------------|------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | | व टक्केवारी | | | | |
| | | | (पदोन्नती/ | | | | |
| (9) | (3) | (3) | सरळसेवा/ | (4) | | | |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | . " | | | |
| | | <u> </u> | (8) | | | | |
| ५१ | शहर विकास | अनुरेखक | सरळसेवा- | अ) राज्य माध्यमिक / उच्च माधमिक शांलात शिक्षण मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण | | | |
| | सेवा, गट-क | | 900% | ब) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा अनुरेखक (यांत्रिकी) व आर्ट | | | |
| | | | | टिचर डीप्लोमा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. | | | |
| | | | | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत | | | |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा | | | |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | १०. पर्यावरप | ग संवर्धन विभाग | | | |
| ५२ | तांत्रिक | पर्यावरण संवर्धन | सरळसेवा | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी किंवा | | | |
| | सेवा, गट-अ | अधिकारी | पदोन्नती करीता | पर्यावरण अभियांत्रिकी पदव्युत्तर पदवी आवश्यक | | | |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | ब) पर्यावरण शाखेत पी. एच. डी. असणा-या उमेदवारास प्राधान्य. | | | |
| | | | न झाल्यास | क) पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील अथवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्रातील ०७ वर्षाचा | | | |
| | | | | अनुभव आवश्यक. | | | |
| | | | | ड) महाराष्ट्र/ केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील किंवा | | | |
| | | | | स्थानीक स्वराज्य संस्थेत किंवा शासन अंगीकृत आस्थापनेवरील | | | |
| | | | | पर्यावरण विषयक किमान ०५ वर्षाचा अनुभव असणा-या उमेदवारास | | | |
| | | | | प्राधान्य | | | |
| | | | | इ) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|---------------------------|---|--|
| (9) | (3) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | पदोन्नती-१००% | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र । नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या |
| | | | पदात्रसा- १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मुख्य स्वच्छता अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ५३ | तांत्रिक सेवा, गट-ब | सहायक पर्यावरण अधिकारी | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्र शाखेची पदवी किंवा पर्यावरण अभियांत्रिकी पदवी. ब) महाराष्ट्र/केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील किंवा स्थानीक स्वराज्य संस्थेत किंवा शासन अंगीकृत आस्थापनेवरील पर्यावरण विषयक किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणा-या उमेदवारास प्राधान्य. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |

११. स्वच्छता विभाग

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|---------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | | प टक्कपारा (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (३) | (नपात्रता) सरळसेवा/ | |
| " | (3) | (4) | प्रतिनियुक्ती) | (4) |
| | | | (8) | |
| 48 | स्वच्छता सेवा | मुख्य स्वच्छता अधिकारी | सरळसेवा | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी किंवा |
| | , गट-अ | | (पदोन्नतीकरीता | पर्यावरण अभियांत्रिकी पदव्युत्तर पदवी. |
| | | | अर्हता धारक | ब) पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील अथवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्रातील ०५ वर्षाचा |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | अनुभव आवश्यक. |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र/केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील किंवा |
| | | | | स्थानीक स्वराज्य संस्थेत किंवा शासन अंगीकृत आस्थापनेवरील |
| | | | | पर्यावरण विषयक किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणा-या उमेदवारास |
| | | | | प्राधान्य. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | · · |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | पदोन्नती १००% | • महानगरपालिका आस्थापनेवरील जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे उपमुख्य |
| | | | | स्वच्छता अधिकारी, सहाय्यक पर्यावरण अधिकारी पदावर किमान ०३ |
| | | | | वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व |
| | | | | गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| 44 | स्वच्छता सेवा | उपमुख्य स्वच्छता | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शाखेची पदवी किंवा पर्यावरण |
| | , गट-ब | अधिकारी | | अभियांत्रिकी पदवी. |
| | | | | ब) पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील अथवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्रातील ०३ वर्षाचा |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | अनुभव आवश्यक. क) महाराष्ट्र/केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील किंवा स्थानीक स्वराज्य संस्थेत किंवा शासन अंगीकृत आस्थापनेवरील पर्यावरण विषयक किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणा-या उमेदवारास प्राधान्य. ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| ५६ | स्वच्छता सेवा , गट-क | स्वच्छता अधिक्षक | पदोन्नती १००% | महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक पदावर किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेला कर्मचारी याची पदोन्नतीने नियुक्ती. |
| 40 | स्वच्छता सेवा , गट-क | ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक | पदोन्नती १००% | महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे स्वास्थ निरीक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा झालेल्या व महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विहीत केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्माऱ्यातुन पदोन्नतीने नियुक्ती. |
| ५८ | स्वच्छता सेवा , गट-क | स्वास्थ निरीक्षक | सरळसेवा-५०% | अ) किमान उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी विशेषतः शास्त्र शाखेची पदवी आणि एल.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्यांस उमेदवारास प्राधान्य. क) स्वच्छता निरीक्षक म्हणून असल्यास विशेष प्राधान्य. |
| | | | पदोन्नती ५०% | • महानगरपालिका आस्थापनेवरील सरळसेवाकरीता आवश्यक असणारी शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या कनिष्ठ लिपीक व बिटप्युन/सफाई जमादार या संवर्गातील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा झालेल्या जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे पदोन्नती. |
| ५९ | स्वच्छता सेवा गट-ड | सफाई जमादार / बिटप्युन | पदोन्नती १००% | माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व महानगरपालिका आस्थापनेवरील जेष्ठता व गुणवत्ता यांच्या आधारे वर्ग-ड मधील सफाई कामगार, कुली अथवा तत्सम पदाचा किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण असने आवश्यक. |
| Ęо | स्वच्छता सेवा गट-ड | नालाकुली | सरळसेवा-१००% | अ)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| ६१ | स्वच्छता सेवा , गट-ड | सफाई कामगार | सरळसेवा-१००% | अ) इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण. ब) मराठी लिहीता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक. क) नामनिर्देशनाने, विशला किंवा वारसा हक्काने नियुक्ती. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | (पदोन्नती/ | | | | |
| (9) | (२) | (३) | सरळसेवा/ | | | | |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (4) | | | |
| | | | (8) | | | | |
| १२. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग | | | | | | | |
| ६२ | तांत्रिक सेवा, | मुख्य संगणक अधिकारी | पदोन्नती १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सिस्टीम मॅनेजर या पदावर | | | |
| | गट-अ | | | किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व | | | |
| | | | | गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. | | | |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विध्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी (बी.ई. | | | |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | कॉम्पुटर) किंवा समकक्ष अर्हता. | | | |
| | | | अर्हता धारक | ब) संगणक प्रोग्रॉमर, डेटा सेंटर ऍडिमिनीस्ट्रेशन, नेटवर्कींग (लॅन, वॅन, | | | |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | compount) हार्डवेअर मधील ०५ वर्षाचा अनुभव किंवा सिस्टीम ऍनालिस्ट | | | |
| | | | नसल्यास | पदावरील ०३ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. | | | |
| | | | | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. | | | |
| ξ 3 | तांत्रिक सेवा, | सिस्टीम मॅनेजर | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विध्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी (बी.ई. | | | |
| | गट-ब | | (पदोन्नतीकरीता | कॉम्पुटर) किंवा समकक्ष अर्हता. | | | |
| | | | अर्हता धारक | ब) संगणक प्रोग्रॉमर, डेटा सेंटर ऍडिमनीस्ट्रेशन, नेटवर्कींग (लॅन, वॅन, | | | |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | compount) हार्डवेअर मधील ०३ वर्षाचा अनुभव किंवा सिस्टीम | | | |
| | | | नसल्यास) | ऍ़नालिस्टपदावरील ०३ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. | | | |
| | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. | | | |
| | | | पदोन्नती | नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती | | | |
| | | | | महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्रोग्रामर , सिस्टीम ऍनालिस्ट | | | |
| | | | | या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------|--------------------|---|---|
| (9) | (3) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ६४ | तांत्रिक सेवा, | सहाय्यक प्रोग्रामर | सरळसेवा-१००% | अ) संगणक विषयासह बी.ई/बी.टेक पदवी. |
| | गट-क | | | ब) प्रोग्रामिंग/ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधील किमान ०३ वर्षांचा अनुभव |
| | | | | आवश्यक. |
| | | | | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| ६५ | तांत्रिक सेवा, | सिस्टीम ॲनालिस्ट | सरळसेवा- | अ) मान्यताप्राप्त विध्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी (बी.ई. |
| | गट-क | | 900% | कॉम्पुटर) किंवा समकक्ष अर्हता. |
| | | | | ब) संगणक प्रोग्रॉमर, डेटा सेंटर ऍडिमनीस्ट्रेशन, नेटवर्कींग (लॅन, वॅन, |
| | | | | compount) हार्डवेअर मधील ०३ वर्षाचा अनुभव |
| | | | | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| | | | १३. उ | द्यान विभाग |
| ६६ | उद्यान सेवा, | उद्यान अधिक्षक | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्टिकल्चर्स) ॲग्रीकल्चर/ बॉटनी/ |
| | गट-क | | (पदोन्नतीकरीता | फॉरेस्ट्री पदवी/ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी. |
| | | | अर्हता धारक | ब) शासकीय /निमशासकीय /स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील संबंधीत कामकाजाचा किमान ०३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| | | | नसल्यास) | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT |
| | | | | परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे |
| | | | | प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------------|-----------------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | पदोन्नती-१००% | सरळसेवाकरीता विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान निरीक्षक या पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ξ0 | उद्यान सेवा, | उद्यान निरीक्षक | सरळसेवा- | अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्टिकल्चर्स) ॲग्रीकल्चर |
| | गट-क | | 900% | /बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील |
| | | | | पदवी. |
| | | | | ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| ६८ | उद्यान सेवा, | कुली | सरळसेवा-१००% | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक |
| | गट- ड | | | शालांत प्रमाणपत्र (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| ६९ | उद्यान सेवा, | रेजा | सरळसेवा-१००% | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक |
| | गट- ड | | | शालांत प्रमाणपत्र (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. |
| | <u> </u> | | | 1 |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------|--------------------|--------------------------------|---|
| (9) | (3) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ | |
| | | .,, | प्रतिनियुक्ती) | (4) |
| | | | (8) | |
| | | | 98.1 | विधी विभाग |
| 90 | विधी सेवा, | मुख्य विधी अधिकारी | पदोन्नती १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी या |
| | गट-अ | | | पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्टता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पद्ववीत्तर पदवी. |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) जिल्हा/उच्च न्यायालयातील स्वतंत्र विकलीचा ०५ वर्षाचा अनुभव |
| | | | अर्हता धारक | क) महानगरपालिका अधिनियम, कॉन्ट्रक्ट एक्ट प्रशासकीय व कामगार |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | विषयक अधिनियमाच्या कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| 09 | विधी सेवा, | विधी अधिकारी | सरळसेवा-१००% | आ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेचा पदवी. |
| | गट-ब | | | ब) जिल्हा/उच्च न्यायालयातील स्वतंत्र विकलीचा ०३ वर्षाचा अनुभव |
| | | | | क) महानगरपालिका अधिनियम, कॉन्ट्रक्ट एक्ट प्रशासकीय व कामगार |
| | | | | विषयक अधिनियमाच्या कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. (৭) | संवर्ग (२) | पदनाम (३) | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती (५) | | | |
|---------------|------------------|--|--|---|--|--|--|
| | १५. कर विभाग | | | | | | |
| 62 | कर सेवा, गट-अ | मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी | पदोन्नती- १००% सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी ब) विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी किंवा सहाय्यक आयुक्त या पदावरील किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पद्ववीत्तर पदवी ब) शासकीय/निमशासकीय सेवेतील ०३ वर्ष अनुभव असणा-यास प्राधान्य. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. | | | |
| 63 | कर सेवा, गट-ब | सहाय्यक मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी | पदोन्नती -१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. ब) अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती. | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|-------------|------------------|-----------------|--|
| | | | व टक्केवारी | विभुक्तविरस्ति अर्टसा च विभुक्तविद्या बद्धसा |
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (3) | सरळसेवा/ | (५) |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (3) |
| | | | (8) | |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पद्ववीत्तर पदवी. |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) शासकीय /निमशासकीय सेवेतील ०३ वर्ष अनुभव असना-यांना प्राधान्य |
| | | | अर्हता धारक | महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | नसल्यास) | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | १६.पशुः | शल्य विभाग |
| 08 | पशु संवर्धन | पशुशल्य चिकित्सक | पदोन्नती | सरळसेवेसाठी विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती |
| | सेवा, गट-अ | | | महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक पशुशल्य चिकीत्सक |
| | | | | पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची |
| | | | | सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | ब) पशुवैद्यकिय अधिकारी, पशुशल्य चिकित्सक म्हणून शासकिय/ |
| | | | अर्हता धारक | निमशासिकय/स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील किमान ०५ वर्षाचा |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | अनुभवास प्राधान्य. |
| | | | नसल्यास) | क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत |
| | | | | MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा |
| | | | | उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| ७५ | पशु संवर्धन | सहाय्यक पशुशल्य | सरळसेवा- | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदवी. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | |
| | सेवा, गट-ब | चिकित्सक | 900% | ब) पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी अथवा संबंधीत कामाचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. क) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. (पदोन्नती नंतर व्यपगत) | | |
| હદ્દ | पशु संवर्धन सेवा, गट-क | पशुधन निरीक्षक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम. ब) पशुधन निरीक्षक म्हणुन शासकीय / निमशासकीय किंवा मोठया खासगी आस्थापनेमधील किमान ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. | | |
| | १७. आरोग्य विभाग | | | | | |
| 1919 | आरोग्य सेवा, गट-अ | वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (MOH) | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदवी (एम.बी.बी.एस) व सार्वजनिक प्रतिबंधात्मक व सामाजिक आरोग्य शास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदवी एम.डी.पी.एस.एम./कम्युनिटी मेडीसीन परिक्षा उत्तीर्ण. ब) मेडीकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक. | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------------|--|---|--|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | ************************************** | | क) शासन /केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील वैद्यकीय अधिकारी वा तत्सम पदावरील किमान ०७ वर्षाचा पर्यवेक्षीय व कार्यकारी पदाचा अनुभव आवश्यक. ड) रूग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे हाताळण्याचा, पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदी बाबींचा कार्याचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य. |
| 96 | आरोग्य सेवा, गट-अ | वैद्यकीय अधिकारी | सरळसेवा-५०% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस/बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेद) पदवी. ब) राज्य शासन /केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील आरोग्य अधिकारी वा तत्सम पदावरील किमान ०५ वर्षाचा पर्यवेक्षीय व कार्यकारी पदाचा अनुभव आवश्यक. क) रूग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदी बाबींचा कार्याचा किमान ०३ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य. इ) मेडीकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक. |
| | | | पदोन्नती-५०% | सरळसेवाकरीता विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक वैद्यकीय |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|------------|----------------------|-----------------------------|---|---|
| (9) | (3) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | अधिकारी (गट-ब) पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ७९ | आरोग्य सेवा, गट-अ | स्त्री रोग तज्ञ | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस. व स्त्री रोग विषयातील एम.डी. /एम.एस ही पदवी किंवा पदविका असणे आवश्यक. ब) राज्य शासन /केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील स्त्री रोग प्रस्तुती शा.तज्ञ विषयातील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. क) मेडीकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक. |
| 60 | आरोग्य सेवा, गट-अ | बाल रोग तज्ञ | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस व बालरोग विषयातील एम.डी. पदव्युत्तर पदवी किंवा पदवीका क) राज्य शासन /केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील बालरोग विषयातील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. क) मेडीकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक. |
| ८ ٩ | आरोग्य सेवा, गट-ब | सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस/ बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेद)/ बी.एच.एम.एस. (होमोओपथी) पदवी. ब) राज्य शासन /केंद्र शासन/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील सहा.आरोग्य अधिकारी वा तत्सम पदावरील किमान ०३ |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|------------|----------------------|----------------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | वर्षाचा पर्यवेक्षीय व कार्यकारी पदाचा अनुभव आवश्यक. क) रूग्णालयातील प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे हाताळण्याचा व विशेषतः स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण आदी बाबींचा कार्याचा किमान ०३ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य. ड) मेडीकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक. |
| ८२ | आरोग्य सेवा, गट-ब | कार्यक्रम व्यवस्थापक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.ए. किंवा मास्टर ऑफ हेल्थ ॲडिमिनिस्ट्रेशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युयेट डिप्लोमा इन हेल्थ मॅनेजमेंट /ॲडिमिनिस्ट्रेशन किंवा मास्टर इन पर्सनल मॅनेजमेंट किंवा पब्लिक हेल्थ मॅनेजमेंट ची पदवी किंवा मास्टर ऑफ सोशल वर्क. ब) एम.एस.सी.आय.टी परिक्षा उत्तीर्ण |
| ८ ३ | आरोग्य सेवा, गट-क | लेखापाल (आरोग्य) | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. ब)महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र क) केखा विषयक कामकाजाचा किमान ०३ वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य. |
| ۲8 | आरोग्य सेवा, | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र या सुक्ष्मजीव शास्त्र या |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी (पदोन्नती/ | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------------|---|--|--|
| (9) | (3) | (३) | (पदान्नता/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | गट-क | | | विषयातील पदवी. ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. परीक्षा उत्तीर्ण. क) वैद्यकीय प्रयोगशाळेतील किमान ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. |
| ८५ | आरोग्य सेवा, गट-क | एक्स रे टेक्रीशिएन (क्ष-किरण तंत्रज्ञ) | सरळसेवा- १००% | अ) भौतिकशास्त्र विषयावर मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. शाखेची पदवी. ब) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेकडील एक्स रे टेक्रिशियन या विषयातील एक्स रे टेक्रीशिएन कोर्स उत्तीर्ण. |
| ८६ | आरोग्य सेवा, गट-क | सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका | पदोन्नती-१००% | सरळसेवेसाठी विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहा. सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| | | | सरळसेवा (पदोन्नतीने अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास) | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची १२ ची विज्ञान शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच जनरल नर्सिंग व मिडवाईफ या विषयातील पदिवका. क) पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या विषयाचा शासन मान्य अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|------------|--------------|--------------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. |
| | | | | इ) वरील अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर परिचारीका म्हणून ०३ वर्षांचा |
| | | | | अनुभवास प्राधान्य. |
| ۷٥ | आरोग्य सेवा, | परिचारीका प्रसविका | सरळसेवा– ५०% | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची १२ ची विज्ञान |
| | गट-क | | | शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच जनरल नर्सिंग व मिडवाईफ या विषयातील |
| | | | | पदविका. |
| | | | | क) शासन/ निमशासकीय/ खाजगी रुग्णालयातील किमान ०३ वर्ष |
| | | | | परिचारीका म्हणून कामकाजाचा अनुभवास प्राधान्य. |
| | | | | ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. |
| | | | पदोन्नती-५०% | सरळसेवा करीता विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अमरावती |
| | | | | महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक परिचारीका प्रसविका पदावर |
| | | | | किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्टता व |
| | | | | गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ۷ ۷ | आरोग्य सेवा, | सहाय्यक परिचारीका | सरळसेवा- | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची १२ ची विज्ञान |
| | गट-क | प्रसविका | 900% | शाखेतील परीक्षा उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण व त्यानंतर |
| | | | | कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. |
| | | | | - |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------------|---------------------|---|--|
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (३) | सरळसेवा/ | (4) |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (3) |
| | | | (8) | |
| | | | | क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ८९ | आरोग्य सेवा, | औषध निर्माण अधिकारी | सरळसेवा-१००% | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च |
| , | गट-क | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) विज्ञान शाखेत उत्तीर्ण |
| | | | | ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.फार्म. पदवी अथवा डी.फार्म पदविका. |
| | | | | क) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी ॲक्ट, |
| | | | | १९४८ (Maharashtra Pharmacy Act off १९४८) नुसार वैध नोंदणी |
| | | | | प्रमाणपत्र आवश्यक. |
| | | | | ड) संबंधित विषयातील कामाचा ०२ वर्षांचा अनुभवास प्राधान्य. |
| ९० | आरोग्य सेवा, | प्रमुख लस टोचक | पदोन्नती १००% | • महानगरपालिका आस्थापनेवरील जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे |
| | गट-क | <u> </u> | | लसटोचक या संवर्गातील माध्यमिक शालान्त परिक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या व |
| | | | | किमान ०३ वर्ष नियमित रुग्णालयातील प्रत्यक्ष सेवेचा अनुभव आवश्यक. |
| ९१ | आरोग्य सेवा, | लस टोचक | सरळसेवा-१००% | अ) एस.एस.सी. उत्तीर्ण आणि शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेतुन पूर्ण |
| | गट-क | | | केलेला लस टोचणी पाठयक्रम उत्तीर्ण. |
| | | | | ब) संबंधीत क्षेत्रातील ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|----------------------|-----------------------------|---|--|
| (9) | (3) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| ९२ | आरोग्य सेवा, | बहुउद्देशीय आरोग्य | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्राणी शास्त्र सुक्ष्मजीव शास्त्र शाखेची पदवी. |
| | गट-क | सेवक | | ब) शासनाचा बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. क) शासनाकडील आरोग्य सहाय्यक (महिला) / आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) /अळी निरीक्षक /आरोग्य सहाय्यक (म.नि.)चा अनुभव असल्यास प्राधान्य. |
| 93 | आरोग्य सेवा, गट-क | सांख्यिकी सहाय्यक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांख्यिकी शास्त्रतील पदवी. ब) मान्यता प्राप्त संस्थेचा मेडीकल कोडींग कोर्स. क) सांख्यिकी विषयातील कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य. ड) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण किंवा शासनमान्य समकक्ष असलेली एक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र |
| 98 | आरोग्य सेवा, गट-क | सहाय्यक अधिक्षक (आरोग्य) | पदोन्नती १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील किनष्ट अधिक्षक (आरोग्य) किंवा वरिष्ट लिपीक संवर्गातील किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शास्त्र शाखेची पदवी (बी.एस्सी) उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यामधुन सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |
| ९५ | आरोग्य सेवा, गट-क | कनिष्ठ अधिक्षक (आरोग्य) | पदोन्नती १००% | अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीक संवर्गातील किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शास्त्र शाखेची पदवी (बी.एस्सी) उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यामधुन सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. |

| अ.क्र. (१) | संवर्ग (२) आरोग्य सेवा, | पदनाम (३) ड्रेसर | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) सरळसेवा-१००% | · |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | गट-ड | | | ब) मान्यताप्राप्त संस्थेकडून किंवा रुग्णालय, दवाखाने मधील ड्रेसर म्हणून प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र. |
| | | | १८.शिक्षप | ग विभाग |
| ९७ | शिक्षण सेवा, गट-अ | शिक्षणाधिकारी | पदोन्नती-१००% | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवीसह शिक्षण शास्त्राची पदवी उत्तीर्ण व उपशिक्षणाधिकारी किंवा मुख्याधापक (माध्यमिक) या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या सेवाज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. |
| | | | प्रतीनियुक्ती (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास प्रतिनियुक्ती) | अ) महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील तत्सम वेतन श्रेणीतील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने. |
| ९८ | शिक्षण सेवा, गट-ब | उपशिक्षणाधिकारी | पदोन्नती १००% | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवीसह शिक्षण शास्त्राची पदवी उत्तीर्ण व मुख्याधापक (प्राथमिक) या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या सेवाज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी (पदोन्नती/ | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | | |
|--------|---|----------------|--|---|--|--|--|--|
| (9) | (3) | (3) | (४५१७५॥) सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | | | |
| 99 | शिक्षण सेवा, गट-क | शाळा निरीक्षक | पदोन्नती १००% | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवीसह शिक्षण शास्त्राची पदवी उत्तीर्ण व सहाय्यक शिक्षक प्राथमिक या पदाचा किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या सेवाज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. | | | | |
| | १९.क्रीडा विभाग | | | | | | | |
| 900 | क्रीडा व सांस्कृतिक सेवा, गट-क | क्रीडा अधिकारी | पदोन्नती १००% सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | सरळसेवेसाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या महानगरपालिका आस्थापनेवरील ज्येष्टता व गुणवत्ता या आधारे क्रीडा निरीक्षक /शाळा निरीक्षक पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्टता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. 31) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवीसह शारीरीक शिक्षण पदवी. 32) बि.पी.एड (BP.Ed) ही पदवी. 33) स्पोट्रर्स ऑथोरीटी ऑफ इंडीया कडील पदविका असल्यास प्राधान्य. 33) शासकीय, निमशासकीय सेवेतील क्रीडा क्षेत्रातील ०३ वर्षाचा अनुभव प्राधान्य | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती | | | | |
|--------|---|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| (9) | (3) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) | | | | |
| 909 | क्रीडा व सांस्कृतिक सेवा, गट-क | क्रीडा निरीक्षक | सरळसेवा-१००% | अ) मान्यताप्राप्त कोणत्याही विद्यापीठाची कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी उत्तीर्ण व शारीरीक शिक्षण पदवी. ब) शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील तत्सम पदावरील कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव तसेच राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवाराला प्राधान्य. | | | | |
| | २०.अग्निशमन विभाग | | | | | | | |
| 902 | अग्निशमन सेवा, गट-अ | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | पदोन्नती १००% | सरळसेवेसाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या महानगरपालिका आस्थापनेवरील ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे सहाय्यक मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदावर किमान ०३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. | | | | |
| | | | सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अ) शैक्षणिक पात्रता १. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. २. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील पदवी (B.E.Fire) धारण केलेली असावी, किंवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) धारण केलेली असावी, किंवा | | | | |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|-----------------------------------|--|---|
| (9) | (3) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | प्रतिनियुक्ती (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | The Instititution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडील सदस्यत्व (M.I. Fire) किंवा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर The Instititution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व असावे. ३. मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. ४. एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा. ब) शारीरिक पात्रता :- १. नामनिर्देशनाच्या उमेदवाराचे वय ४३ वर्षापेक्षा अधिक नसावे. २. अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी व सुदृढ शरीरयष्टी असावी. क) अनुभव :- शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असल्यास प्राधान्य. महाराष्ट्र राज्य अग्नीशमन सेवेतील समकक्ष पदावरील अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती. |
| 903 | अग्निशमन सेवा, गट-ब | सहाय्यक मुख्य अग्निशमन अधिकारी | सरळसेवा-१००% | अ) शैक्षणिक पात्रता १. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. २. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील पदवी (B.E.Fire) |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------|-------|---|--|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | धारण केलेली असावी, किंवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) धारण केलेली असावी, किंवा The Instititution of Fire Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडील सदस्यत्व (M.I. Fire) किंवा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केल्यानंतर The Instititution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्व असावे. 3. मराठी भाषेतुन प्रशासकीय कामकाज करता यावे, यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. (लिहीणे, वाचणे व बोलणे) 8. एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा. ब) शारीरिक पात्रता :- 9. नामनिर्देशनाच्या उमेदवाराचे वय ४३ वर्षापेक्षा अधिक नसावे. 2. अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी व सुदृढ शरीरयष्टी असावी. क) अनुभव :- • शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी या • पदावर किमान ०३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असल्यास प्राधान्य. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | व टक्केवारी | |
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (3) | सरळसेवा/ | (4) |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | |
| | | | (8) | |
| 908 | अग्निशमन | अग्निशमन केंद्र | पदोन्नती-१००% | सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण |
| | सेवा, गट-क | अधिकारी | | झालेल्या तसेच उक्त सरळसेवेसाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणारे अधिकारी |
| | | | | सेवा ज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. जर |
| | | | | राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Staion Officer & |
| | | | | Instructor पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला नसेल तर, उमेदवारांना पदोन्नतीनंतर ०३ वर्षात |
| | | | | कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक राहील. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------|-------|--------------------------------|--|
| | | | (पदोन्नती/ | |
| (9) | (२) | (3) | संरळसेवा/ | |
| | | | प्रतिनियुक्ती) | (4) |
| | | | (8) | |
| | | | सरळसेवा | 3 |
| | | | (पदोन्नतीकरीता | अ) शैक्षणिक पात्रता |
| | | | अर्हता धारक | १. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. |
| | | | उमेदवार उपलब्ध | २. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Staion Officer & |
| | | | नसल्यास) | Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण |
| | | | | असावा. किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष |
| | | | | कालावधीचा स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण |
| | | | | केलेला असावा. किंवा The Instititution of Fire Engineers (U.K.) (India) या |
| | | | | संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेला असावी. |
| | | | | ३ . मराठी भाषेतुन प्रशासकीय कामकाज करता यावे , यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे |
| | | | | आवश्यक आहे. (लिहीणे, वाचणे व बोलणे) |
| | | | | ४. एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा. |
| | | | | ब) शारीरिक पात्रता :- |
| | | | | १ . उंची १६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १६२ सें.मी) व वजन -५० कि.ग्रॅ. |
| | | | | २. छाती -साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू |
| | | | | नाही) |
| | | | | इ. अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी व |
| | | | | सुदृढ शरीरयष्टी असावी. |
| | | | | क) अनुभव :- |
| | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | | | अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर किंवा इतर वर्ग महानगरपालिकेतील समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असल्यास प्राधान्य. |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|------------------------------------|--|--|
| (9) | (२) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| 904 | अग्निशमन सेवा, गट-क | सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी | पदोन्नती१००% | लिडींग फायरमन या पदावर किमान ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या तसेच उक्त नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणारे कर्मचारी सेवा ज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. |
| | | | सरळसेवा (पदोन्नतीकरीता अर्हता धारक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास) | अ)शैक्षणिक पात्रता • मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. • राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Staion Officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा. किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा o9 वर्ष कालावधीचा उपस्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा. किंवा The Instititution of Fire Engineers (U.K.) (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेला असावी. • मराठी भाषेतुन प्रशासकीय कामकाज करता यावे, यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. (लिहीणे, वाचणे व बोलणे) • एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा. • ब) शारीरिक पात्रता :- • उंची १६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १६२ सें.मी) व वजन -५० |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|------------------------|---------------|---|---|
| (9) | (२) | (3) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | कि.ग्रॅ. छाती -साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त(महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी व सुदृढ शरीरयष्टी असावी. क) अनुभव:- ड वर्ग महानगरपालिका / शासकीय/ निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये सहा.अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर किंवा इतर वर्ग महानगरपालिकेतील समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असल्यास प्राधान्य. |
| १०६ | अग्निशमन सेवा, गट-क | लिडींग फायरमन | पदोन्नती १००% | फायरमन या पदावर किमान ३ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या सेवा ज्येष्ठता व पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्त करण्यात येतील. |
| 900 | अग्निशमन सेवा, गट-क | फायरमन | सरळसेवा-१००% | अ) शैक्षणिक पात्रता १. माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. २. राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा. ३. मराठी भाषेतुन प्रशासकीय कामकाज करता यावे, यासाठी मराठीचे ज्ञान |

| अ.क्र. | संवर्ग | पदनाम | नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी | नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती |
|--------|--------|-------|---|---|
| (9) | (3) | (३) | (पदोन्नती/ सरळसेवा/ प्रतिनियुक्ती) (४) | (4) |
| | | | | असणे आवश्यक आहे. (लिहीणे, वाचणे व बोलणे) ४. एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा. ब) शारीरिक पात्रता :- १. उंची १६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची १६२ सें.मी) व वजन -५० कि.ग्रॅ. २. छाती -साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) ३. अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवारांची निरोगी व सुदृढ शरीरयष्टी असावी. |

परिशिष्ट-(३)

अमरावती महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम, २०२४

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार अमरावती महानगरपालिकेसाठी केलेले नियम:-

नियम

१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक:-

- (अ) या नियमास "अमरावती महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) नियम, २०२४" असे संबोधण्यात येईल.
- (ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील.
- २. व्याख्या:- विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार,
 - (२.१) "अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम.
 - (२.२) "महानगरपालिका" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये निर्माण केलेली "अमरावती महानगरपालिका."
 - (२.३) "आयुक्त" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी.
 - (२.४) "कर्मचारी" म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही.
 - (२.५) "परिशिष्ट" म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट.
 - (२.६) "विभागीय परीक्षा" म्हणजे, अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट- (३) (अ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा.

ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल.

३. <u>विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्यः</u>

- (३.९) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस अमरावती महानगरपालिका आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) व (क) मध्ये विहित केलेली आवश्यक ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल.
- (३.२) उपरोक्त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल.

४. कालावधी आणि संधीची संख्या:-

- (४.९) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींकरिता कालावधी व संधीची संख्या या नियमांच्या अधीन राहून, शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल, तर शासन राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
- (४.२) अमरावती महानगरपालिका, सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४ नुसार नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

५. <u>परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक</u>:-

- (५.९) अमरावती महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्यक असेल.
- (५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल.

६. परीक्षेचे वेळापत्रक:-

विभागीय परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या अभिकरणाकडून सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या जातील.

७. <u>परीक्षेचा अभ्यासक्रमः</u>

विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल.

परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल.

८. प्रशिक्षण:-

विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम अमरावती महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल.

९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम:-

एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:-

- (९.९) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंवा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली वेतनवाढ ही, तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल.
- (९.२) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. तसेच, अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल.

परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामध्न सूट:-

- (१०.१) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:-
 - (अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा
 - (ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशा प्रकरणी किंवा,
- (१०.२) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल.

99. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा घेण्यात आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात येईल.

१२. <u>विशेष योग्यता:</u>-

एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेत ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या प्रश्नपत्रिकेतील त्याच्या विशेष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल.

१३. <u>विषयांमध्ये सूट</u>:-

जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्के किंवा अधिक गुण मिळविलेले आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी परीक्षेला बसण्यातून व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल.

१४. निर्वचनाच्या शक्ती:-

नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे, यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्त यांचा निर्णय अंतिम असेल.

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट-(३) (अ) (नियम-३)

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग

| अ.क्र. | विभाग/सेवा | संवर्ग |
|--------|-------------------|---------------------|
| ٩. | प्रशासकीय सेवा | अधिक्षक |
| ٦. | लेखा सेवा | लेखापाल |
| ₹. | लेखा परीक्षण सेवा | वरिष्ठ लेखा परीक्षक |

महापालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| अ.क्र. | विभाग | परीक्षा घेणारा प्राधिकारी | संवर्ग |
| ٩. | अभियांत्रिकी स्थापत्य/ | अभियांत्रिकी अधिकारी | कनिष्ठ अभियंता/सहाय्यक अभियंता |
| | विद्युत/यांत्रिकी सेवा | महाविद्यालय, नाशिक | / शाखा अभियंता |
| ₹. | अग्निशमन सेवा | अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातील पदे. |
| | | नागपूर/मुंबई | |

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट-(३) (ब) विभागीय परीक्षा

प्रश्नपत्रिका-१

(गुण- १००, वेळ-३ तास)

- १. सारांश लेखन.
- २. टिप्पणी लेखन.
- ३. पत्र लेखन.
- ४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत).

<u>प्रश्नपत्रिका-२</u>

(पुस्तकांसह)

(गुण- १००, वेळ- ३ तास)

- १. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम
- २. किमान वेतन अधिनियम
- ३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
- ४. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
- ५. वस्तु व सेवा कर.

प्रश्नपत्रिका-३

(पुस्तकांसह)

(गुण– १००, वेळ– ३ तास)

१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम:-

सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती

रजा

वेतन

वर्तणूक, शिस्त व अपील

निवृत्तीवेतन

- २) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका.
- ३) रचना व कार्यपद्धती- सहा गट्ठे पद्धती.
- ४) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा.
- ५) प्राथमिक हिशोब तपासणी.

टीप: या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील.

विद्या हम्पय्या (उप सचिव, महाराष्ट्र शासन)

लेखा विभाग/लेखा परीक्षण विभागातील वरिष्ठ लेखा परीक्षक (लेखा)/कनिष्ठ लेखा परीक्षक यांना प्रश्नपत्रिका-१, २, ३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल

प्रश्नपत्रिका-४

(पुस्तकांसह)

(गुण- १००, वेळ- ३ तास)

- १. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९.
- २. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, ८, ९, ११ वगळून.
- ३. महाराष्ट्र सार्वजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२.
- ४. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ प्रकरणे.
- ५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती.

प्रश्नपत्रिका-५

(पुस्तकांसह)

(गुण- १००, वेळ- ३ तास)

- 9. Book Keeping & Accountancy.
- 2. Accrual Based Double Entry Accounting.
- ३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७
- ४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९

गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या परिशिष्टातील प्रश्नपत्रिका-१, २ व ३ व्यतिरिक्त खालील प्रश्नपत्रिकेतउत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल

<u>प्रश्नपत्रिका-६</u>

(पुस्तकांसह)

(गुण- १००, वेळ- ३ तास)

- १. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
- २. महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२.
- ३. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५.
- ४. राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान.
- ५. झोपडपट्टी सुधार समिती.
- ६. दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना.

- ७. समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना.
- ८. केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना.

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट ३ (क) विभागीय परिक्षा (अग्निशमन)

विभाग- अग्निशमन

संवर्ग- अग्निशमन केंद्र अधिकारी / उपअग्निशमन केंद्र अधिकारी / अग्निशमन केंद्र अधिकारी / उपअग्निशमन केंद्र अधिकारी / लिडींग फायरमन / अग्निशामक संबंधीत संवर्ग (अग्निशमन)

| ٩. | तोंडी | व | प्रात्य | क्षिक | परिक्षा | :- |
|----|-------|---|---------|-------|---------|----|
| | | | | | | |

(गुण-१००)

| | · 11 (1 1 11 1 (11 1 1 | (3 · · / |
|------------|--------------------------|--|
| ٩. | रासायनिक अग्निशामके | – प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| २. | शिडया | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| 3 . | होज पाईप | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| ٧. | फोम व होम साधने | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| 4. | हायड्रंट व होज फिंटिंग्ज | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| ξ. | पंप | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| 0. | वॉटर रिले | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| ۷. | गाठी | - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा |
| ۶. | श्वसन उपकरणे | – साहित्यांची नावे व वापर |
| 90. | कवायत | – आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची |

क्षमता

२. लेखी परिक्षा :-

(गुण- १००, वेळ- २ तास)

- **१. प्रथमोपचार -**प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटने, रक्तस्राव, जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे.
- **२. वॉचरुम कार्यपध्दती** वॉचरुम मध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉडची माहिती, त्यासाठी वापरली जाणारी कार्यपध्दती नमुने व काल्पनिक संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉड मध्ये नोंद करणे.
- **३. अग्निशामक व ड्रायव्हर** पदांच्या कर्तव्याची माहिती असणे व ती कर्तव्य पारपाडण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची कर्तव्य.
- **४. शिस्त व कर्तव्य पालन** शिस्तीचे व कर्तव्य पालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे पालन न झाल्यास होणारे परिणाम कर्तव्य पालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे आठवणीत राहीलेल्या एखादया प्रसंगाचे वर्णन.

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट ४

नामनिर्देशन / सरळसेवा भरती करतांना अग्निशमन विभागसाठी निकष व गुणांकन पध्दती

शक्षणिक अर्हता व अनुभव :-

१.१ अग्निशमन पदासाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट- (२) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

१.२ शारीरिक पात्रता :-

| पुरुष | महिला |
|---|---|
| • उंची-किमान १६५ सें.मी. (अनवाणी) | • उंची - किमान १५७ सें.मी. (अनवाणी) |
| • छाती-न फुगविता ८१ सें.मी., फुगवुन ८६ | छाती-महिला उमेदवारांसाठी लागु नाही. |
| सें.मी. (किमान ५ सें.मी. फुगवणे आवश्यक) | वजन- ४६ कि.ग्रॅ. |
| वजन- ५० कि.ग्रॅ. | • |
| • | तसेच Ishihara Chart नुसार रंग दृष्टी |
| तसेच Ishihara Chart नुसार रंग दृष्टी | चांगली) |
| चांगली) | • वर्णांधता आजारापासून मुक्त असावा. |
| • वर्णांधता आजारापासून मुक्त असावा. | • उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्टया सुदृढ |
| • उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्टया सुदृढ | असावा. |
| असावा. | |

२. परिक्षेचे टप्पे :-

प्रस्तुत परिक्षा एकुण २ टप्यात घेण्यात येईल :-

- १) लेखी परिक्षा- १०० गुण.
- २) शारीरीक चाचणी- १०० गुण.

२.१ लेखी परीक्षा:- असेल

- १. लेखी परिक्षा (तांत्रीक / सामान्य ज्ञान) १०० गुणांची असेल.
- २. लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमुद शैक्षणीक पात्रता / तांत्रीक शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवश्यक राहील.
- ३. जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेवुन आवश्यक तेवढया (साधारणत: १:५ किंवा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारिरीक चाचणी परिक्षेस पात्र ठरविण्यात येईल.
- ४. लेखी परिक्षेकरीता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारिरीक चाचणीसाठी पात्र ठरतील.

२.२ मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (१०० गुण)

अ. १६०० मिटर धावणे (३० गुण)

| १६०० मि. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी | द्यावयाचे गुण |
|---|---------------|
| ५ मि. १० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | 30 |
| ५ मि. १० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ३० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | २७ |
| ५ मि. ३० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ५० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | २४ |
| ५ मि. ५० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. १० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | २१ |
| ६ मि. १० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ३० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | 9८ |
| ६ मि. ३० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ५० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | १५ |
| ६ मि. ५० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. १० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | 90 |
| ७ मि. १० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. ३० सेंकद किंवा त्यापेक्षा कमी | ०५ |
| ७ मि. ३० सेंकदा पेक्षा जास्त | 00 |

ब. जिमनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४ वरील उंचीच्या) ॲल्युमिनियम एक्सटेंशन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढुन त्याच शिडीने खालील उतरणे. (आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल) (२० गुण)

| वेळ (सेंकदामध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|--|---------------|
| २० सेंकदापर्यत | २० |
| २० सेंकदापेक्षा जास्त ते २५ सेंकदापर्यंत | 9६ |
| २५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ३० सेंकदापर्यंत | 92 |
| ३० सेंकदापेक्षा जास्त ते ३५ सेंकदापर्यंत | ٥٧ |
| ३५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ४० सेंकदापर्यंत | 08 |
| ४० सेंकदापेक्षा जास्त | 00 |

क. ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेवुन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे. (२० गुण)

| वेळ (सेंकदामध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|--|---------------|
| २० सेंकदापर्यत | २० |
| २० सेंकदापेक्षा जास्त ते २५ सेंकदापर्यंत | 9 ६ |
| २५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ३० सेंकदापर्यंत | 92 |

| ३० सेंकदापेक्षा जास्त ते ३५ सेंकदापर्यंत | ٥٧ |
|--|----|
| ३५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ४० सेंकदापर्यंत | 08 |
| ४० सेंकदापेक्षा जास्त | 00 |

ड. २० फुट उंची पर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे. (२० गुण)

रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ¾(तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, ½(अधीं) चढल्यास ५ गुण तर अध्यिपेक्षा कमी अंतर चढल्यास शुल्य गुण दिले जातील. (रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. पायाचा वापर करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.)

इ. २० पुल-अप्स (१० गुण)

प्रत्येक पुल-अप्सला १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील.

२.३ मैदानी चाचणी (महिलांसाठी) (१०० गुण)

अ. ८०० मिटर धावणे (३० गुण)

| ८०० मि. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी | द्यावयाचे गुण |
|---|---------------|
| २ मि. ५० सेंकदापर्यंत | 30 |
| २ मि. ५० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. ०० सेंकदापर्यंत | 20 |
| ३ मि. ०० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. १० सेंकदापर्यंत | 28 |
| ३ मि. १० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. २० सेंकदापर्यंत | २१ |
| ३ मि. २० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. ३० सेंकदापर्यंत | 9८ |
| ३ मि. ३० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. ४० सेंकदापर्यंत | 94 |
| ३ मि. ४० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ३ मि. ५० सेंकदापर्यंत | 90 |
| ३ मि. ५० सेंकदापेक्षा जास्त परंतु ४ मि. ०० सेंकदापर्यंत | ०५ |
| ४ मि. ०० सेंकदापेक्षा जास्त | 00 |

ब. जिमनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६".४॰ वरील उंचीच्या) ॲल्युमिनियम एक्सटेंशन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढुन त्याच शिडीने खालील उतरणे. (आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल) (२० गुण)

| वेळ (सेंकदामध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|--|---------------|
| ३० सेंकदापर्यत | २० |
| ३० सेंकदापेक्षा जास्त ते ४० सेंकदापर्यंत | १५ |
| ४० सेंकदापेक्षा जास्त ते ५० सेंकदापर्यंत | 90 |
| ५० सेंकदापेक्षा जास्त ते ६० सेंकदापर्यंत | ०५ |
| ६० सेंकदापेक्षा जास्त | 00 |

क.४० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेवुन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे. (२० गुण)

| वेळ (सेंकदामध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|--|---------------|
| २५ सेंकदापर्यत | २० |
| २५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ३० सेंकदापर्यंत | 9६ |
| ३० सेंकदापेक्षा जास्त ते ३५ सेंकदापर्यंत | 97 |
| ३५ सेंकदापेक्षा जास्त ते ४० सेंकदापर्यंत | ०८ |
| ४० सेंकदापेक्षा जास्त ते ४५ सेंकदापर्यंत | 08 |
| ४५ सेंकदापेक्षा जास्त | 00 |

ड. गोळा फेक(गोळयाचे वजन ४ कि.ग्रॅ.)(१० गुण)

| गोळा फेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|-------------------------------|---------------|
| ६ मिटर व त्यापेक्षा जास्त | 90 |
| ५.५० मिटर ते ६ मिटरपेक्षा कमी | ०८ |
| ५ मिटर ते ५.५० मिटरपेक्षा कमी | οξ, |
| ४.५० मिटर ते ५ मिटरपेक्षा कमी | 08 |
| ४ मिटर ते ४.५० मिटरपेक्षा कमी | ०२ |
| ४ मिटरपेक्षा कमी | 00 |

इ. लांब उडी (१० गुण)

| अंतर (फुटामध्ये) | द्यावयाचे गुण |
|---------------------------|---------------|
| १५ फुट व त्यापेक्षा जास्त | 90 |

| १३ फुट ते १५ फुटपेक्षा कमी | ०८ |
|-----------------------------|----|
| ११ फुट ते १३ फुटापेक्षा कमी | ०६ |
| ०९ फुट ते ११ फुटापेक्षा कमी | ٥8 |
| ०९ फुटापेक्षा कमी | 00 |

फ. १० पुश अप (जोर काढणे) (१० गुण) प्रत्येक १ पुश अप ला १ गुण, याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील.

विद्या हम्पय्या उप सचिव, महाराष्ट्र शासन